न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 32/16 (223 आरटीए)
आरसीएमएस संख्या :–2016/00248

उनवान

तेज सिंह पुत्र रोशन जाति लोधा निवासी ढाना खेडली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

........................**अपीलांट**।

बनाम

1. मंदिर श्री माहेश्वरी देवी जी विराजमान वाके ग्राम ढाना तहसील रूपवास जिला भरतपुर। नाबालिग जरिये महन्त श्री श्री 1008 जनकश्री देवी ग्राम ढाना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.................असल रेस्पोंडेंट ।

2. रतन सिंह } पुत्र जनक सिंह
3. भरत सिंह }
4. निरोती पुत्र बुद्धा
5. ओमप्रकाश } पुत्र रोशन
6. पप्पू }
7. रामकिशन }
8. नाहर सिंह पुत्र शंकर सिंह
9. हरी सिंह पुत्र मूली
10. भगवान सिंह पुत्र हरी सिंह

} जाति लोधा नि0 ढाना खेडली तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.................तरतीवी रेस्पोंडेंट ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 05.02.2016 प्र.सं 267/12 उनवानी मूर्ति मंदिर बनाम भरत सिंह वगै0।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांण्ट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री भोला सिंह उपस्थित।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक–09.04.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 05.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1209/3–09 वाके ग्राम ढाना तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त आराजी भूमि मन्दिर श्री माहेश्वरी देवी जी की खातेदारी की है तथा उक्त आराजी में मूर्ति मन्दिर बना हुआ है। विवादित आराजी के कुछ हिस्से में प्रतिवादी/अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 ने अवैध कब्जा कर लिया है। दिनांक 20.08.2011 को पैमाईश कराई और अन्य पैमाईश भी कराई गयी। जिसमें प्रतिवादीगण अपीाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 द्वारा मूर्ति मन्दिर की आराजी पर अतिक्रमण पाया गया। प्रतिवादी अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 से जब अतिक्रमण हटाने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये एवं आगे भी अतिक्रमण करने की धमकी दी। यदि वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी/असल रैस्पो0 को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में भरत सिंह व रतन सिंह ने जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर कोई तनकीयात कायम नहीं की गयी। विवादित आराजी का कुल रकवा 03 बीघा 09 विस्वा है, तो किस व्यक्ति ने कितने रकवा पर अतिक्रमण किया एवं किस दिनांक को किया। दावा में कुछ अंकित नहीं किया। विवादित आराजी में से 05 विस्वा आराजी तो अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी है एवं एक–एक एयर अन्य व्यक्तियो की खातेदारी में है। विवादित आराजी का अभी विभाजन भी नहीं हुआ। विवादित भूमि आबादी विस्तार के लिये है। परन्तु बाद में मूर्ति मंदिर के नाम दान कर दी गयी। दिनांक 03.09.2007 को स्वयं उपखण्ड अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि को आबादी विस्तार की भूमि माना है। इसी प्रकार तहसीलदार की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि अपीलाण्ट व अन्य व्यक्तियों के पूर्व से मकानात बने हुये हैं। नया निर्माण नहीं है। यह रिपोर्ट 2007 की है एवं दावा 2012 में हुआ। सन् 2012 की रिपोर्ट में किसका कितना अतिक्रमण है स्पष्ट नहीं किया है। कब्जा कितना पुराना है, कोई उल्लेख नहीं है। मंदिर मूर्ति का स्वामित्व भी संदिग्ध है। आबादी विस्तार की भूमि मंदिर को नहीं दी जा सकती है। प्रकरण में कोई तनकीयात कायम

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नहीं की गयी एवं ना ही कोई साक्ष्य ही ली गयी। अतः अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने एवं पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। जमाबन्दी के आधार पर विवादित भूमि मूर्ति मंदिर की भूमि है। विवादित भूमि का मंदिर के नाम दान पत्र हुआ है। जिसकी अपील भी तहसीलदार महोदय व अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय में हुयी, जो अपीलाण्ट ने की। परन्तु वह खारिज हो चुकी है एवं विवादित भूमि को मंदिर की ही माना है। पत्रावली पर दिनांक 20.08.2011 की उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट लगी हुयी है। उसमें स्पष्ट है कि किस व्यक्ति ने कितने रकवा पर अतिक्रमंण किया हुआ है। दिनांक 22.11.2016 की तहसीलदार की रिपोर्ट हैं। उसके साथ अतिक्रमण करने वालो की सूची लगी हुयी है एवं अतिक्रमण की प्रकृति भी अंकित है। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश की अपील भी मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2012(2) पेज 1395, 2011(2) पेज 851, 2019(2) पेज 1077 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 ने धारा 5 का जवाब आदिनांक तक नहीं दिया है। यदि मियाद पर आपत्ति थी, तो उन्हें धारा 5 का जवाब देना चाहिये था। बिना जवाब दिये। अपीलाण्ट के धारा 5 में अंकित किये गये कथन सत्य माने जावेंगें। रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के शपथ पत्र को झूठा साबित करने के लिये, कोई काउन्टर शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर उन्हें आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 के विरूद्ध हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 22.08.2016 को लगभग छः माह 17 दिन बाद प्रस्तुत की गयी है। हम पाते हैं कि मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ज्यादा वांछनीय रहता है। जिससे पक्षकार न्याय की अनुभूति से वंचित ना हो सके। वैसे भी अनेको न्यायिक दृष्टान्तो में मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के निर्देश हैं। अतः मियाद के बिन्दु को क्षमा करते हुये, अपील अपीलांट सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

7. गुणावगुण पर हम पाते हैं कि खसरा नम्बर 1209 रकवा 03–14 बीघा मे से कुछ रकवे पर अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 एवं शेष रकवा 03–09 बीघा पर मन्दिर श्री माहेश्वरी देवी जी ढाना के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 20.08.2011 में स्पष्ट अंकित हैं कि अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 ने अपनी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

खातेदारी के रकवे से अधिक भूमि किसी ने एक विस्वा किसी ने दो विस्वा मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है इसी प्रकार मौका रिपोर्ट दिनांक 22.11.2016 के संलग्न सूची में भी मंदिर की भूमि पर अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 द्वारा मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है उक्त सूची में अनुमानित रकवा एवं अतिक्रमण की प्रकृति कच्चा या पक्का भी अंकित है। इस प्रकार अपीलाण्ट का मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। चूंकि मूर्ति मंदिर शास्वतः नाबालिग होती है। ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त भूमि जो कि मूर्ति मंदिर की खातेदारी की भूमि है, उस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का हम समर्थन करना उचित समझते हैं।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 05.02.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर